भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2213

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

सीएसआर पर समिति

2213. श्री बैजयंत पे पांडा :

श्री बी.एन. चन्द्रप्पा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु उपाय सुझाने हेतु गठित की गई उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का सभी योग्य क्रियाकलापों के लिए सीएसआर के खर्चों में समान कर में छूट देने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का सिफारिशों को शामिल करने हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का कंपनियों को प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि सहित सीएसआर खर्चों में कुछ सीमा तक स्वतंत्रता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क): जी, हां।

(ख): रिपोर्ट और अनुशंसाएं मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर रखी गई हैं।

(ग): जी, नहीं।

(घ): कंपनी विधि समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अपेक्षित संशोधनों से संबंधित मामलों की समीक्षा कर रही है।

(ड.): कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.06.2014 के सामान्य परिपत्र के साथ पठित कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के उपबंधों के अधीन उनकी सीएसआर नीतियां, यदि लागू हो, बनाना अपेक्षित है।

*****